

आवश्यक सूचना

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

द्वारा संचालित आम्रपाली योजना (हरदोई रोड) लखनऊ में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 14.07.2014 से 25.08.2014 तक खोले गये पंजीकरण को बढ़ाकर **दिनांक 30.10.2014** तक कर दी गयी है।

विवरण निम्नवत् है

आम्रपाली योजना (हरदोई रोड) : पंजीकरण हेतु सम्पत्ति, मूल्य एवं श्रेणी का विवरण

क्र. सं.	सेक्टर नम्बर	भवनों का प्रकार	प्रस्तावित भवनों की संख्या	निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	मॉगपत्र निर्गत की तिथि से एक माह (30 दिन के अन्दर) देय धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष भुगतान तिमाही 03 किश्तों में (प्रति किश्त रु. लाख में)
1.	SEC H-4	128/200 (सेमी फिनिश)	16	128.00	200.00	62.00	6.20	22,32,000.00	11,16,000.00
2.	SEC H-4	106/162 (सेमी फिनिश)	10	106.00	162.00	51.00	5.10	18,36,000.00	9,18,000.00

शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक

1. इलाहाबाद बैंक, बालागंज, लखनऊ। फोन: 0522-2405508
2. पंजीकरण पुस्तिका पूर्व की भाँति प्रचार अनुभाग, परिषद मुख्यालय, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ तथा उपरोक्त बैंक शाखा में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगी।

अधिक जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट www.upavp.com का अवलोकन करें।

आवास आयुक्त

IS 15700:2005



संयोजित प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

वेबसाइट: <http://www.upavp.com> ई-मेल: upavp@sancharnet.in

भारतीय पत्रक नं०

IS 15700

